



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032023-244412
CG-DL-E-15032023-244412

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2023/फाल्गुन 24, 1944

No. 10]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2023/PHALGUNA 24, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(आईडब्ल्यूटी अनुभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2023

फा. सं. ए-12011/3/2021-आईडब्ल्यूटी—श्री विनायक आजाद, आईआरएस की सदस्य (यातायात एवं लॉजिस्टिक्स) के रूप में नियुक्ति के संबंध में भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-I, खंड 2 में दिनांक 15 फरवरी, 2023 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना सं. 6 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री विनायक आजाद, आईआरएस का बैच संख्या सीएंडआईटी: 1995 के स्थान पर सीएंडआईटी:1994 पढ़ा जाए।

आर. लक्ष्मणन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(IWT SECTION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 15th March, 2023

F. No. A-12011/3/2021-IWT.—In partial modification in the Gazette Notification No. 6 dated 15th February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 2 regarding appointment of Shri Vinayak Azaad, IRS as Member (Traffic & Logistics), IWAI, the batch number of Shri Vinayak Azaad, IRS may be read as C&IT:1994 in place of C&IT:1995.

R. LAKSHMANAN, Jt. Secy.

1733 GI/2023